महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 86वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांक : 09 जून, 2015 **अपराह्न : 2:00 बजे**

प्रबन्ध बोर्ड की 86वीं बैठक दिनांक 09 जून, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबंध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. कैलाश सोडाणी कुलपति	अध्यक्ष
2. मास्टर मामन सिंह यादव, विधायक (तिजारा-अलवर), (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
3. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
4. प्रो. जी.के. कोहली (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
5. प्रो. बी.पी. सारस्वत (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
6. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर (प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
7. कुलसचिव	सदस्य सचिव

नोट : (श्री शत्रुघ्न गौतम-विधायक, डॉ. पी.के.शर्मा, प्रो.भगवती प्रकाश शर्मा, प्रमुख शासन सचिव-शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव-आयोजना, निदेशक-कॉलेज शिक्षा बैठक में उपस्थित नहीं हो सके)

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व नव-नियुक्त सदस्य श्री मामन सिंह यादव का माननीय कुलपति महोदय ने स्वागत किया। कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया एवं निम्नानुसार निर्णय लिए गये :-

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
मद सं. 1	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 23.12.2014 को सम्पन्न हुई 85वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना। उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13(85) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2015/1637-48 दिनांक 13.01.15 के द्वारा प्रेषित की गई।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**इस संशोधन के साथ पुष्टि की गई कि, मद सं.4(35) प्रतिवेदन को राज्य सरकार को अनुमति हेतु प्रेषित किया जाए।**	

मद सं. 2	विद्या परिषद की दिनांक 4 अप्रैल, 2015 को सम्पन्न हुई 50वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-1)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
मद सं. 3	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः–** (1) **प्रतिवेदन है कि** राजस्थान सिविल सर्विसेज पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2008/48574 दिनांक 17-10-2008 एवं एफ.1( )संस्था/मदसवि/2009/38258 दिनांक 06-8-2009 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक F.14(1)FD/ (Rules)/2013-I&II जयपुर दिनांक 06-4-2013 एवं समसंख्यक नोटिफिकेशन दिनांक 28-6-2013 के द्वारा राजस्थान सिविल सर्विसेज पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 में किये गये संशोधनों के प्रावधानों को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय के दिनांक 11-7-2013 के आदेशों की अनुपालना में अधिसूचना क्रमांक एफ.1()संस्था/ मदसवि/2013/29192 दिनांक 19-9-2013 जारी की गई। माननीय कुलपति महोदय के आदेश प्रबंध बोर्ड़ के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-2)**	**संस्थापन**
निर्णय	**मद को सम्पूर्ण तथ्यों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।**	
	(2) **प्रतिवेदन है कि** निरीक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 25.05.2010 के कार्यवृत को प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 23.02.2012 के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 23.02.2012 के मद सं.19 पर निरीक्षण बोर्ड के कार्यवृत्त पर कार्यवाही करने के लिये माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा निरीक्षण बोर्ड के दिनांक 25.05.2010 के कार्यवृत्त के बिन्दु सं. 8 व 17 के अतिरिक्त शेष निर्णयों को दिनांक 11.12.2012 को अनुमोदन प्रदान किया गया है। माननीय कुलपति महोदय के आदेशों की पालना में निरीक्षण बोर्ड के कार्यवृत्त के बिन्दु सं.8 व 17 के अतिरिक्त शेष निर्णयों पर कार्यवाही की जा चुकी है। निरीक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 25.05.2010 के कार्यवृत के बिन्दु सं. 08 में लिये गये निर्णय को सत्र 2014-2015 से लागू किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 1.07.2014 की अनुपालना में समस्त सम्बद्धता प्राप्त निजी महाविद्यालयों को उक्त निर्णय से विश्वविद्यालय पत्रांकः 13650-874 दिनांक 14.07.2014 के द्वारा अवगत कराया जा चुका है। अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 11.12.2012 एवं दिनांक 1.07.2014 प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है।	**शैक्षणिक-II**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(3) प्रतिवेदन है कि, शासन संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ. प.1(7)उ.शि-5/2012 दिनांक 04-3-2013 में प्रदत्त स्वीकृति के आधार पर विश्वविद्यालय में वर्तमान में विद्यमान लेखाधिकारी के पद को दिनांक 04-3-2013 से वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद में क्रमोन्नत मान्य किये जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार कार्यालय आदेश क्र.एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2014/20562 दिनांक 18-9-2014 जारी किया गया है। **(कार्य सूची**	**संस्थापन**

	का परिशिष्ठ-3)	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(4) प्रतिवेदन है कि, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर याचिका क्रमांक 13198/2013 के क्रम में पारित आदेश दिनांक 27-8-2014 की पालना में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार याची कार्मिकों को दिनांक 01-4-1999 से सहायक पद का वेतनमान रूपये 5500-175-9000 प्रभारी मान्यकर तदनुसार अनुवर्ती लाभ दिये जाने की स्वीकृति को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2015/11150 दिनांक 17-3-2015 द्वारा जारी किया गया है। **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-4)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(5) प्रतिवेदन है कि, राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.16(16) वित्त (नियम)/98 (आरएसआर 98-4/99) दिनांक 27-02-1999 के आधार पर महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर वेतन एवं भत्ते नियम, 1998 के नियम संख्या 08 के नीचे नियम 8 (A) का समावेश माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार दिनांक 01-3-1998 से प्रवृत्त और मान्य किये जाने हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2015/22373 दिनांक 01-5-2015 जारी की गई। **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-5)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(6) प्रतिवेदन है कि, राज्य सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.14(1)एफ.डी./रूल्स/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के Existing Schedule IV-(Rule 21) में परिवीक्षाधीन कार्मिकों के स्थिर वेतन में दिनांक 01-9-2014 से किये गये संशोधन को विश्वविद्यालय में भी प्रवृत्त/मान्य किये जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार कार्यालय आदेश एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2015/21552 दिनांक 11-3-2015 जारी किया गया है। **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-6)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(7) प्रतिवेदन है कि, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम 1987 की धारा 19 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में, राजस्थान सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(4)एफडी (रूल्स)/2013 दिनांक 18-3-2015 में अधिसूचित, राजस्थान सिविल सेवा (पैंशन) नियम, 1996 में सम्मिलित किये गये नियम 65 के अनुसार विश्वविद्यालय पैंशन विनियम 38 के नीचे निम्नांकित प्रावधान दिनांक 18-3-2015 से समाविष्ट एवं मान्य किये जाने हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2015/22740 दिनांक 11-5-2015 जारी की गई है:-**(कार्य सूची का परिशिष्ठ-7)**	**संस्थापन**

	"Provided further that this rule shall not be applicable to the family of military pensioners. However, in cases where the family of Military pensioner is drawing family pension at the prescribed rate of minimum family pension from Central Government and the family pension of the family of Military pensioner for the services rendered under the State Government works out less than the prescribed amount of minimum family pension calculated at the rate of 30% of emoluments of the Government servant, in such cases the actual amount of family pension shall be admissible to the family of Military pensioners and not minimum family pension prescribed by the State Government."	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(8) प्रतिवेदन है कि, शासन उपसचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.1(9)उशि/ग्रुप-5/2014 दिनांक 15-4-2015 द्वारा प्रेषित, वित्तीय वर्ष 2015-2016 की बी0 एफ0 सी0 के कार्यवृत्त में अंकित निर्णयानुसार इस विश्वविद्यालय के 11 पदों को समाप्त करने के माननीय कुलपति महोदय के आदेश, जो उन्होंने महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम 1987 की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदान किये हैं, की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2015/14882 दिनांक 29-4-2015 जारी किया गया है । **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-8)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(9) प्रतिवेदन है कि, प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 में मद संख्या 05 के अंतर्गत लिये गये निर्णय की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय ने इस विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के वास्तविक कार्यभार और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रमों की मांग के आधार पर शिक्षकों के स्वीकृति पदों की समीक्षा और पुनर्विचार किया। तदनुसार विश्वविद्यालय विभागों की वर्तमान आवश्यकतानुसार विषयों के पदों की राज्य सरकार से अनुमति हेतु पत्र क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/ 2015/15231 दिनांक 01-5-2015 (प्रतिलिपि संलग्न है) प्रेषित किया है। **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-9)**	**संस्थापन**
निर्णय	**शैक्षणिक पदों में परिवर्तन के सम्बन्ध में सदस्यों के सुझाव अनुसार संशोधित सूची का अनुमोदन किया जो कार्यवृत के परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है जिसे राज्य सरकार को अनुमति हेतु प्रेषित किया जावे।**	
	(10) <u>**प्रतिवेदन है कि**</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 19.03.2015 के द्वारा विश्वविद्यालय की वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया है। अनुमोदन पश्चात् वार्षिक प्रतिवेदन की 325	**सामान्य प्रशासन**

	प्रतियां विधानसभा पटल पर रखने हेतु दिनांक 06.04.2015 को संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित कर दी गई है। अतः वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-11)**	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(11) <u>**प्रतिवेदन है कि**</u> विश्वविद्यालय के बजट फाइनेंसियल एण्ड अकाउंट्स रूल्स, 1997 के नियम 5(2) के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के प्रदत्तीकरण हेतु परिशिष्ठ (1) में उल्लेखित वित्तीय शक्तियों में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.6( )मदसविवि/विवले-I/प्र.बो./2000/866 दिनांक 06.09.2000 से आंशिक संशोधन प्रवृत किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश में मुख्यतः विभागाध्यक्ष (Teaching Deptts.) को पृथक-पृथक मदों में व्यय की स्वीकृति हेतु वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई थी। वित्तीय शक्तियों के विद्यमान प्रावधानों में लगभग 15 वर्ष की अवधि से किसी प्रकार का परिवर्द्धन नहीं किया गया है । जबकि समय के साथ कार्यालय संचालन हेतु दिन-प्रतिदिन के कार्यो के निष्पादन हेतु व्ययित होने वाली राशि में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । अतः कार्यालय के दिन-प्रतिदिन के कार्यो के सुगमतापूर्वक निष्पादन तथा प्रशासनिक निर्णयों की त्वरित पालना हेतु वित्तीय शक्तियों के परिशिष्ठ-(1) के विद्यमान प्रावधानों में आंशिक संशोधन कर पदारूढ़ अधिकारीगण को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के लिए समस्त मदों में वित्तीय शक्तियां प्रस्तावित की गईः- कुलसचिव :- 1,00,000/- उप कुलसचिव (सा.प्र.) :- 25,000/- सहायक अभियन्ता :- 50,000/- (भवन निर्माण एवं रिपोयर मरम्मत कार्य के लिए) **नोटः-** विद्यमान वित्तीय शक्तियों में जिन मदों में उपर्युक्त पदारूढ़ अधिकारीगण को पूर्व में ही उपर्युक्त सीमा से अधिक राशि के लिए वित्तीय शक्तियां प्रदत्त है, वे यथावत मान्य रहेगी । 1. जिन मदों में विश्वविद्यालय में किसी भी अधिकारी को विद्यमान नियमों में वित्तीय शक्तियां प्रदत्त नहीं है अपितु केवल प्रबन्ध बोर्ड में ही शक्तियां निहित है, उन मामलों में वित्तीय शक्तियां प्रबन्ध बोर्ड में ही निहित रहेगी । उपर्युक्त प्रस्तावित संशोधन को माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.6( )विवले/मदसविवि/2015/15857 दिनांक 08.05.2015 से प्रवृत्त किया गया है। अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में जारी कार्यालय आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष	**वित्त एवं लेखा**

	अनुमोदनार्थ प्रतिवेदित है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ- 11-A)**	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(12) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 6 (1) FD (Rules)/2008, Jaipur Dated 13-04-2015 के अनुरूप व शर्तो के अधीन विश्वविद्यालय कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2015 से महंगाई भत्ता 107 प्रतिशत के स्थान पर 113 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक F 6 (41) A&F/MDSU/2015/13737-86 Dated 18-04-15 जारी किया गया है **(कार्यसूची का परिशिष्ठ- 12)**।	**वित्त एवं लेखा**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(13) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 12 (3) FD (Rules)/2013, Jaipur Dated 13-04-2015 के अनुरूप व शर्तो के अधीन विश्वविद्यालय पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को दिनांक 01.01.2015 से महंगाई राहत 107 प्रतिशत के स्थान पर 113 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक F 6 (41) A&F/ MDSU /2015/7669-718 Dated 22-04-15 जारी किया गया है **(कार्यसूची का परिशिष्ठ- 13)**	**वित्त एवं लेखा**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(14) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 17.04.2015 की अनुपालना में विश्वविद्यालय में यात्रा भत्ता नियमों से संबंधित संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांक F 6 ( ) A&F/ MDSU /2015/ 14466 Dated 25-04-15 जारी किया गया है **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-14)**	**वित्त एवं लेखा**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(15) <u>प्रतिवेदन है कि</u> प्रतिवेदन है कि, विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि के रिकॉर्ड के संधारण, सीमांकन एवं आवंटित भूमि पर चारदीवारी का निर्माण तथा अतिक्रमित भूमि को चिन्हित किये जाने से संबंधित कार्य विश्वविद्यालय में पटवारी, भू अभिलेख-निरीक्षक और तहसीलदार के पद स्वीकृत नहीं होने के कारण हो नहीं पा रहा था । फलतः अतिक्रमण को नियंत्रित करना संभव नहीं था । माननीय कुलपति महोदय ने इस कार्य की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए वांछित कार्य की पूर्ति की आवश्यकता के लिए सेवानिवृत भू-राजस्व निरीक्षक और पटवारी की संविदा पर सेवायें अल्पकालावधि के लिए, लिए जाने हेतु आदेश प्रदान किये । तद्नुसार विज्ञापन संख्या एफ 1 ( ) संस्था/मदसविवि/2014/19275 दिनांक 06. 09.2014 (संलग्न) जारी किया गया । पात्र आवेदन पत्रों के आधार पर माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार निम्नांकित नियुक्तियों के आदेश	**संस्थापन**

	जारी किये गयेः- 1. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/ मदसविवि/2015/ 10979 दिनांक 14-3-2015 द्वारा श्री दुलीचन्द, भू-अभिलेख निरीक्षक को संविदात्मक आधार पर पुनर्नियुक्ति 06 माह की अवधि के लिए समेकित पारिश्रमिक रू0 10495/- प्रति माह पर प्रदान की गई । 2. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2015/10992 दिनांक 14-3-2015 एवं 21823 दिनांक 18-3-2015 द्वारा श्री तपेश्वर स्वरूप तंवर, तहसीलदार को 06 माह की अवधि के लिए अवैतनिक सेवाएं प्रदान करने हेतु नियुक्ति प्रदान की गई । 3. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/ मदसविवि/ 2015/ 12759 दिनांक 07-4-2015 द्वारा श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, पटवारी को दिनांक 31.08.2015 तक के लिए समेकित पारिश्रमिक रू0 10689/- प्रतिमाह पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई । माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार की गई उक्त कार्यवाही एवं जारी किये गये कार्यालय आदेश प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है । **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-15)**	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(16) <u>**प्रतिवेदन है कि**</u> विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में अंशकालीन आधार पर चिकित्सकीय सेवाएं देने हेतु नियुक्त वैद्य श्री चन्द्रकांत चतुर्वेदी की माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार निम्नांकित कार्यालय आदेशों द्वारा की गई सेवाओं में वृद्धि के आदेशों की पुष्टि करनाः- 1. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2014/19697 दिनांक 12.12.2014 2. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2015/20747 दिनांक 10.01.2015 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ- 17)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(17) <u>**प्रतिवेदन है कि**</u> विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में अंशकालीन आधार पर चिकित्सकीय सेवाएं देने हेतु नियुक्त फिजीशियन डॉ. अशोक गुप्ता की माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार निम्नांकित कार्यालय आदेशों द्वारा की गई सेवाओं में वृद्धि के आदेशों की पुष्टि करनाः- 1. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2014/19697 दिनांक 12.12.2014 2. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2015/20747	**संस्थापन**

	दिनांक 10.01.2015 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ- 18)**	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(18) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय के अध्यादेश O.124.8.E में ऐसे अभ्यर्थी जो RET से छूट प्राप्त हैं की मेरिट बनाने का Criteria निर्धारित नहीं होने के कारण माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (4) में उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित प्रावधान अध्यादेश O.124.8.E में नया जोड़ने के आदेश प्रदान किये हैं तदनुसार अधिसूचना क्रमांक F 15 /Res/MDSUA/ 2015/32600 दिनांक 23.05.2015 प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि के अध्यधीन जारी की गयी । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ- 19)** O.124.8.E (iii) Average of the minimum and maximum marks obtained in the relevant subject in RET - 2015 shall be taken as the marks of the exempted candidates in the relevant subject. **60%**	**शोध**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(19) <u>प्रतिवेदन है कि</u> महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम 1987 की धारा 19 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर कार्मिकों के आचरण एवं अनुशासन नियम A-CODE OF CONDUCT 14.Certain acts constituting misconduct शीर्षक के नीचे निम्नांकित प्रावधान क्रमांक (viii) समाविष्ट किये जाने की अधिसूचना क्रमांक एफ 15 आरटीआई/ शोध/मदसविवि/2015/1097-आर/15741 दिनांक 07.05.2015 प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि के अध्यधीन जारी की गई है:- (viii) Indiscriminate and impractical demands by an employee as defined in Rule 7 read with rule (15) of the M.D.S. UNIVERSITY OF AJMER CONDITIONS OF SERVICE ETC. OF EMPLOYEES (which includes Teachers as well as other members of staff and officers) for disclosure of all and sundry information (unrelated to one's legitimate genuine interest, public interest, transparency, accountability in the functioning of the employees and eradication of coruption) having a tendency to adversely affect the efficiency of the administration and which may result in the departments and sections of the University getting bogged down with the non-productive work of collecting and furnishing information under the provisions	**शोध**

	of RTI Act, 2005.* * Inserted in view of Hon'ble Supreme Court's D.B. judgment dated 9/8/2011 in civil Appeal No. 6454 of 2011: Central Board of Secondary education and Anr Vs. Aditya Bandhopadhyaya & Ors. **(कार्यसूची का परिशिष्ठ- 20)**	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(20) <u>प्रतिवेदन है कि</u> राजस्थान राजपत्र विशेषांक 29 जनवरी, 2015 में अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं एवं पदेन शासन उपसचिव (श्रम) श्रम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनाक 28 जनवरी, 2015 में अंकितानुसार राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2014 से लागू की गई पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरों के अनुरूप विश्वविद्यालय में न्यायालय के आदेशों से कार्यरत कार्मिकों एवं अनुमोदित ठेकेदार के माध्यम से उपलब्ध कराये श्रमिकों को दिनांक 01.01.2014 से निम्नानुसार न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन देय होने के आदेश माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 14.02.2015 एवं 02.05.2015 प्रदान किये गये:- 1. कुशल कार्मिकों को 209/- रूपये प्रतिदिन अधिकतम 5434/- रूपये प्रतिमाह । 2. अर्द्ध कुशल कार्मिक को 199/- रूपये प्रतिदिन । अधिकतम 5174/- रूपये प्रतिमाह । 3. अकुशल कार्मिक को 189/- रूपये प्रतिदिन । अधिकतम 4914/- रूपये प्रतिमाह । माननीय कुलपति महोदय के आदेशों की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक 8968 दिनांक 25.02.2015 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 15735 दिनांक 07.05.2015 जारी किये गए।	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
मद सं. 4	प्रबंध बोर्ड़ की निर्णय संख्या 21 दिनांक 08-01-2010 में निर्णय किया था कि वर्ष 2005 में वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 तक की अवधि में रिक्त रहे अनुभागाधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक के पदों पर 66 प्रतिशत (वरीयता कम योग्यता अनुसार) **विभागीय पदोन्नति समिति** और 34 प्रतिशत पदों पर (योग्यता कम वरीयता अनुसार) **विभागीय चयन समिति** आयोजित करके वर्षवार पदोन्नति के स्थान पर वर्ष 2005 से पदोन्नति दिये जाने के कारण इस अवधि (वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 तक) में रिक्त पदों की नियमानुसार वर्षवार विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित की जाये तथा यह भी निर्णय किया कि एरियर का भुगतान नहीं किया जाये।	**संस्थापन**

उक्त निर्णय अनुसार निम्नांकित कार्यवाही होनी थीः-

(क) वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 में 66 प्रतिशत कोटा में रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति करके वर्षवार पदोन्नति।

(ख) वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 में 34 प्रतिशत कोटा में रिक्त पदों पर विभागीय चयन समिति करके वर्षवार पदोन्नति।

<u>प्रतिवेदन है किः-</u>

(क) दिनांक 29 सितम्बर, 2010 को सहायक के 34 प्रतिशत कोटा के अंतर्गत रिक्त दर्शाये 02 पदों पर विभागीय चयन समिति की बैठक हुई और 02 वरिष्ठ लिपिकों का चयन करके वर्ष 1997-1998 से सहायक के पद पर प्रबंध बोर्ड़ की पुष्टि के अध्यधीन पदोन्नति आदेश जारी कर दिये गये तथा पदोन्नति आदेश दिनांक 26 मार्च, 2011 को हुई प्रबंध बोर्ड़ की बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किये गये। प्रबंध बोर्ड़ ने मद स्थगित कर दिया। निर्णय की प्रतीक्षा है किन्तु पदोन्नत दोनों कार्मिक निरन्तर सहायक के पद पर कार्यरत हैं इस पदोन्नति के विरूद्ध कुछ वरिष्ठ लिपिकों ने न्यायालय में याचिका दायर की है जो विचाराधीन है तथा यह पदोन्नति आदेश न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन है।

(ख) 66 प्रतिशत कोटा के पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति की कार्यवाही करने के आदेश 01-01-2012 को जारी हुए। आरंभिक बैठकें 12-9-2013 और 13-9-2013 को अंततः 24-10-2013 को सम्पन्न हुई।

(ग) इसी अवधि में दिनांक 03-10-2013 को जारी आदेश द्वारा वर्ष 2005 से वर्ष 2013-2014 तक की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने हेतु प्रशासनिक निर्णय हुआ और समिति का गठन हुआ।

(घ) कुलपति महोदय ने वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2004-2005 की वर्षवार पदोन्नति समिति की अनुशंषाओं का अनुमोदन दिनांक 09-10-2014 को किया और दिनांक 11-10-2014 को अनुभागाधिकारी/सहायक/वरिष्ठ लिपिकों के वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2012-2013 तक के वर्षवार पदोन्नति के कार्यालय आदेश जारी कर दिये गये। तत्पश्चात् वर्ष 2013-2014 के अनुभागाधिकारी/सहायक/वरिष्ठ लिपिकों के 66 प्रतिशत कोटा के अंतर्गत रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति का गठन कर दिया गया है और पदोन्नति का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(च) इस अवधि में वर्ष 2005 में एकजाई रूप में की गई **विभागीय चयन समिति** की बैठकों के माध्यम से पदोन्नत अनुभागाधिकारी/ सहायक/वरिष्ठ लिपिक जिनकी बाद में 66 प्रतिशत कोटा के अंतर्गत पदोन्नति की पात्रता हुई उन्हें उस वर्ष में पदोन्नति प्रदान कर दी गई है, किन्तु जो 66 प्रतिशत कोटा की पदोन्नति के पात्र नहीं हुए, वे अभी भी

	34 प्रतिशत कोटा में 2005 से पदोन्नत हैं। **अतः उपर्युक्त वस्तुस्थिति से अवगत होना एवं निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय करनाः-** **(क)** दिनांक 08-01-2010 के निर्णय में वर्षवार विभागीय चयन समिति की बैठकें अब करके भूतलक्षी प्रभाव से वर्षवार पदोन्नति दिया जाना व्यवहारिक एवं विधिसम्मत प्रकट नहीं होने के कारण इस निर्णय पर पुनर्विचार करके उपयुक्त निर्णय प्रदान करना जिससे कि 34 प्रतिशत अभ्यांश के रिक्त पदों को भरा जा सके। **(ख)** वरिष्ठ लिपिक/सहायक/लेखाकर/अनुभागाधिकारी के पद जो आंतरिक कर्मियों से 02 माध्यमों (66 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति समिति से तथा 34 प्रतिशत पद विभागीय चयन समिति) से भरे जाते हैं, उन प्रक्रियाओं में होने वाली जटिलताओं, आंशकाओं, विवादों एवं विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए, **शत-प्रतिशत पदों** को विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जाने पर विचार कर निर्णय करना एवं वित्तीय वर्ष 2015-2016 से तदनुसार पदोन्नति नियमों को संशोधित करने पर विचार करना जिससे कि समय रहते हुए आवश्यकतानुसार रिक्त पदों पर पदोन्नति दी जा सके तथा रिक्त पदों के समाप्त होने की संभावना समाप्त हो सके।	
निर्णय	**प्रकरण पूर्ण तथ्यों के साथ प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में रखे जाने हेतु स्थगित किया गया।**	
मद सं. 5	कार्यालय प्रधान लेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.ले.प.), राजस्थान सरकार से प्राप्त कुलपति को सम्बोधित पत्र क्रमांक सा. एवं सा.क्षे.-III/एस-I/नि.प्र./में निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2012 तक में किये गये अंकेक्षण आक्षेप क्रमांक 13 को निरस्त करने हेतु इस विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा महालेखाकार को प्रेषित पत्र क्रमांक एफ.6 ( )विवले-I/ऑडिट/मदसविवि/2014/5853 दिनांक 28-3-2014 के संबंध में महालेखाकार द्वारा प्रबंध बोर्ड की टिप्पणी की अपेक्षा की गई है। एतदर्थ संबंधित आक्षेप और आक्षेप के प्रेषित किये गये उत्तर पर विचार कर टिप्पणी प्रदान करना। **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-10)**	**संस्थापन**
निर्णय	**प्रकरण पर विचार-विमर्श कर विश्वविद्यालय द्वारा महालेखाकार को भेजे गए जवाब का अनुमोदन किया गया। बोर्ड का निर्णय महालेखाकार को भिजवाया जाकर आक्षेप निस्तारित कराकर पेंशन प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करवाया जावे।**	
मद सं. 6	विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के बैठक में उपस्थित होने पर 1000/- रूपये सीटिंग चार्जेज, विद्या परिषद के सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने पर 250/- रूपये सीटिंग चार्जेज के रूप में दिया जा रहा है जबकि अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों को सीटिंग चार्जेज	**शैक्षणिक-I**

	नहीं दिया जा रहा है । अतः प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों एवं विद्या परिषद् के सदस्यों को देय सीटिंग चार्ज बढ़ाने एवं अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों को सीटिंग चार्जेज दिये जाने पर विचार कर निर्णय करना ।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड/कुलपति चयन समिति/शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों की चयन समिति की बैठक हेतु सदस्यों को राशि रु.2000/-, विद्या परिषद हेतु रु.1000/- तथा अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति में सम्मिलित होने हेतु सदस्यों को रु.500/- सिटिंग चार्जेज का भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 7	विश्वविद्यालय के सामान्य प्रावधायी निधि के नियम 14 (2) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए ब्याज दर का निर्धारण करने हेतु गठित समिति की दिनांक 14.03.2015 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार करना **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-16)**	**वित्त एवं लेखा**
निर्णय	**अनुमोदन किया गया।**	
मद सं. 8	वर्ष 1987 में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्यादेशों को इस शर्त के साथ अंगीकृत किया गया था कि इस विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर इसमें जो भी परिवर्तन, परिवर्धन/संशोधन आवश्यक होंगे वे सक्षम प्राधिकार द्वारा किये जा सकेंगे। तदनुसार वर्ष 1987 से अब तक अनेक अध्यादेशों में संशोधन किये गये हैं, और समय-समय पर कार्यालय आदेश जारी हुए हैं। परीक्षा संबंधी अध्यादेश सीधे-सीधे छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक संस्थानों पर प्रभावशील होते हैं जिनकी कोई पुस्तिका या एकीकृत रूप में संकलन तैयार नहीं हुए है। इस प्रयोजन से प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 27.11.2009 के निर्णय संख्या 27 द्वारा डॉ0 जे.पी. व्यास को विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 22 (3) (क) एवं (ख) के संबंध में विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का प्रारूपण करने हेतु अधिकृत किया गया था। उन्होंने परीक्षा संबंधी सभी अध्यादेशों में अब तक हुए संशोधनों और इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखते हुए अध्यादेशों के अद्यतन करके इकजाई रूप में प्रस्तुत किया हैं, जिनका प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य प्रो. के.के. शर्मा के संयोजकत्व में गठित समिति द्वारा परीक्षण किया गया हैं। उक्त समिति द्वारा संस्तुत अध्यादेशों के प्रारूपण को प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2012 के मद संख्या 09 में रखा गया था । उक्त मद पर प्रबन्ध बोर्ड का निर्णय निम्नानुसार है:- **बोर्ड ने इस सम्बन्ध में प्रो. के.के. शर्मा, कुलसचिव तथा विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित एच.एल.ए. को उक्त अध्यादेशों का पुनःपरीक्षण कर समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया। तदुपरान्त इन्हें स्वीकृत करने की अनुशंषा की।** प्रो. जे.पी. व्यास द्वारा पारिश्रमिक के भुगतान का आग्रह किया	**शैक्षणिक-I**

	जा रहा है । प्रो. के.के. शर्मा के विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हो जाने तथा विश्वविद्यालय में पदस्थापित रहे एच.एल.ए. का स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने के कारण उक्त अध्यादेशों का पुनः परीक्षण नहीं हो पाया है। अतः उक्त अध्यादेशों के प्रारूपण का पुनः परीक्षण करने हेतु समिति का पुनर्गठन किए जाने पर विचार करना ।	
निर्णय	**उक्त अध्यादेशों का पुनः परीक्षण कर संशोधित अध्यादेश प्रस्तुत करने हेतु बोर्ड द्वारा निम्नलिखित समिति का गठन किया गया :** **1. प्रो. जी.के. कोहली -संयोजक** **2. श्री हरिसिंह आसनानी, विधिपरामर्शदात्री - सदस्य** **3. परीक्षा नियन्त्रक-सदस्य सचिव** **उक्त समिति अपनी रिपोर्ट एक माह में कुलपति को प्रस्तुत करेगी। साथ ही, प्रो. जी.के. व्यास द्वारा तैयार अध्यादेशों का इस कार्य हेतु देय पारिश्रमिक का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान श्री व्यास को किये जाने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 9	विश्वविद्यालय में कतिपय परिस्थितियों के कारण प्रतिवर्ष दीक्षान्त समारोह का आयोजन नहीं होने पर हर वर्ष पीएच.डी. की उपाधि के पात्र शोधार्थियों को यदि आवश्यकता है तो अपेक्षित समय में उपाधि दे दिये जाने हेतु निम्नांकित प्रावधान किये जाने पर विचार करनाः- "प्रति वर्ष दीक्षान्त समारोह आयोजित नहीं होने के कारण हर वर्ष पीएच.डी. की उपाधि अर्जित किये जाने के पात्र शोधार्थियों को उपाधियां दिये जाने हेतु ग्रेस पास करने की कार्यवाही करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत करना जिससे कि वे प्रति वर्ष ग्रेस पास की कार्यवाही अपने स्तर पर करा सकें और संबंधित उपाधि धारकों को यह सूचित करना कि यदि वे दीक्षान्त समारोह से पूर्व अपनी उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रयोजन हेतु निर्धारित की गई दिनांक को वे विश्वविद्यालय कार्यालय में नियत समय में उपस्थित होकर कुलपति महोदय के हाथों उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे शोधार्थी जो इस प्रक्रियानुसार उपाधि प्राप्त नहीं करना चाहते हैं उन्हें दीक्षान्त समारोह में उपाधि प्रदान की जा सकेगी ।"	**शोध**
निर्णय	**उक्त प्रावधान स्वीकार कर इसे प्रभावी करने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं.10	विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में अंशकालीन आधार पर चिकित्सकीय सेवाएं देने हेतु नियुक्त वैद्य श्री चन्द्रकांत चतुर्वेदी एवं फिजीशियन डॉ. अशोक गुप्ता विश्वविद्यालय में विगत 4-5 वर्षो से अपनी सेवायें दे रहें है। वर्तमान में इन्हें प्रतिमाह 4000/- मानदेय एवं रूपये 500/- वाहन भत्ते के रूप में भुगतान किया जा रहा है। वैद्य एवं चिकित्सक का निवेदन है कि वे काफी वरिष्ठ एवं अनुभवी है, अतः पद की गरिमा एवं महंगाई का ध्यान रखते हुए इन्हें प्रतिमाह रू.7,000/- मानदेय एवं रू. 1,000/- वाहन भत्ता दिये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के विचारार्थ	**संस्थापन**

	प्रस्तुत है **(कार्यसूची का परिशिष्ठ- 21)**	
निर्णय	**अनुमोदन प्रदान किया गया।**	
मद सं.11	स्पोर्टस बोर्ड की बैठक दिनांक 26.05.2015 के कार्यवृत्त पर विचार करना **(कार्यसूची का परिशिष्ठ- 22)**	**स्पोर्टस बोर्ड**
निर्णय	**स्पोर्ट्स बोर्ड की बैठक दिनांक 26 मई, 2015 के कार्यवृत के बिन्दु संख्या 29(ब एवं स) को छोडते हुए शेष कार्यवृत का अनुमोदन किया गया।**	
मद सं.12	दिनांक 23.12.2014 को सम्पन्न प्रबन्ध बोर्ड की 85वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ- 23)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
मद सं.13	राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों की समन्वय समिति की बैठक दिनांक 05.05.2015 के निर्णय संख्या 04-ा के तहत समस्त विश्वविद्यालयों में राजपत्रित अवकाशों का कलैण्डर राज्य सरकार के कलैण्डर के अनुरूप होने के संबंध में निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार "विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक अवकाशों के अतिरिक्त अन्य अवकाश का कलैण्डर राज्य सरकार के राजपत्रित अवकाशों के अनुरूप होना चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार से इतर अन्य अवकाश घोषित नहीं किये जाने चाहिए। राज्य सरकार में विश्वविद्यालयों के संबंधित प्रशासनिक विभाग इस संबंध में समुचित दिशा निर्देश विश्वविद्यालयों को जारी करें।" इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग से दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए है। अतः प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	**सामान्य प्रशासन**
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यवाही करने हेतु प्रो. जी.के. कलसी के संयोजकत्व में डॉ. प्रवीण माथुर एवं उपकुलसचिव- सामा. प्रशा. (सदस्य सचिव) की एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति अपनी रिपोर्ट 15 दिवस में माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी।**	
मद सं. 14	वार्षिक परीक्षा 2015 के निम्नलिखित महाविद्यालयों में छात्रों द्वारा परीक्षा केन्द्र पर सामुहिक नकल उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के द्वारा परीक्षक संख्या एस 1164 बी.एससी. पार्ट-ा प्रश्न-पत्र रसायन विज्ञान-ाा एवं बी.कॉम पार्ट-ाा ए.बी.एस.टी.-ा परीक्षक संख्या सी 660 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लिखित में दिया । 1. जुपिटर कॉलेज कुचामन सिटी 2. आदर्श कॉलेज, कुचामन सिटी	**परीक्षा नियंत्रक**

	माननीय कुलपति महोदय द्वारा उक्त प्रकरण की जांच हेतु समिति का गठन किया। समिति की बैठक दिनांक 06.06.2015 को आयोजित के कार्यवृत में की गई संस्तुति माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित दिनांक 09.06.2015 प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में रखा जाना (परिशिष्ठ 24)	
निर्णय	**समिति की संस्तुति को अनुमोदन प्रदान किया गया। सत्र 2015-16 से नागौर जिले के निजी महाविद्यालयों के परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र बदलने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 15	अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रहा है तथा अजमर में स्थापित महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान पीठ की स्थापना पूर्व में की गयी थी परन्तु आर्थिक एवं अन्य संशाधनों की कमी के चलते हुए उक्त पीठ में ज्यादा गतिविधिध्यां संचालित नहीं हो सकीं । अतः उक्त पीठ को पुनर्जीवित किया जाना है। सिंधी संस्कृति का अजमेर में महत्व एवं योगदान को दृष्टिगत रखते हुए महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में सिंधी पीठ (चेयर) हेतु राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद्, नई दिल्ली द्वारा सिंधी पीठ हेतु एक करोड़ रू0 विश्वविद्यालय को स्वीकृत भी किये जा चुके है **(प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न है)** उक्त दोनों पीठ में निरन्तर शोध गतिविधियां जारी रह सकें इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पी.टी.ई.टी. तथा बी.एस.टी.सी. परीक्षाओं की बचत में से कुछ अंश दिया जाना उपयुक्त होगा । अतः उपरोक्तानुसार मद प्रबंध बोर्ड में वांछित कार्यवाही एवं क्रियान्वयन हेतु प्रस्तुत है।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक शोध केन्द्र तथा सिंधु शोधपीठ हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पीटीईटी व बीएसटीसी की बचत से क्रमशः रु.एक-एक करोड़ की राशि पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक शोध केन्द्र तथा सिंधु शोधपीठ के नाम पर एफ.डी.आर. करा दी जाए। सावधि जमा के ब्याज से उक्त दोनों पीठों में शोध गतिविधियां कराने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं 16	विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की दिनांक 25.05.2015 को आयोजित 45वीं बैठक का कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है **(संलग्न भवन निर्माण समिति की 45वीं बैठक का कार्यवृत्त परिशिष्ठ 25)**	**अभियन्ता कार्यालय**
निर्णय	**अनुमोदन प्रदान किया गया।**	
मद सं 17	विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की दिनांक 25.05.2015 को आयोजित 45वीं बैठक के मद संख्या 14.6 पर दी गई अनुशंसा के	**अभियन्ता कार्यालय**

	अनुसार वित्त नियंत्रक ने अवगत कराया कि PWF & AR के अनुसार सहायक अभियन्ता को भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्यो के लिए किसी प्रकार के अधिकार नहीं है अर्थात सहायक अभियन्ता सक्षम नहीं है । अधिशाषी अभियन्ता को ही निर्माण एवं मरम्मत कार्यो के अधिकार प्राप्त है । इस बाबत् निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में अधिशाषी अभियन्ता का नया पद सृजित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावें । अधिशाषी अभियन्ता का पद सृजित हो जाने के पश्चात् विश्वविद्यालय के आवश्यक मरम्मत एवं निर्माण कार्य तीव्र गति से सम्पन्न हो सकेंगे एवं साथ ही भविष्य में जो निर्माण कार्य आर.एस.आर.डी.सी. के माध्यम से कराए जा रहे है वे भी विश्वविद्यालय स्तर पर अधिशाषी अभियन्ता के द्वारा कराने का विकल्प रहेगा । जिससे भुगतान किए जा रहे एजेंसी चार्जेज 9 प्रतिशत की बचत भी होगी एवं विश्वविद्यालय स्तर पर ही निर्णय होने से कार्यो में विलम्ब भी नहीं होगा । वर्तमान में इस प्रकार की व्यवस्था राज्य के कई विश्वविद्यालयों में चल रही है । आर.एस.आर.डी.सी. ने भी छोटे-छोटे कार्यो को कराने में असमर्थता बताई है। यह भी निर्णय लिया गया कि अधिशाषी अभियन्ता का पद सृजित होने तक विश्वविद्यालय में वर्तमान में कार्यरत सहायक अभियन्ता के द्वारा सम्पादित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति/तकनीकी कार्य की जांच एवं बिल पर प्रतिहस्ताक्षर आर.एस.आर.डी.सी. के अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट डायरेक्टर) द्वारा करवाया जाना है। उपरोक्त मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**अधिशाषी अभियन्ता का पद सृजित होने तक विश्वविद्यालय में वर्तमान में कार्यरत सहायक अभियन्ता के द्वारा सम्पादित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति/तकनीकी कार्य की जांच एवं बिल पर प्रतिहस्ताक्षर आर.एस.आर.डी.सी. के अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट डायरेक्टर) द्वारा करवाया जाए एवं पुष्टि हेतु प्रकरण प्रशासनिक विभाग को भेजा जाए।**	

बैठक में विश्वविद्यालय में सैण्टर फॉर टूरिज्म की स्थापना हेतु राज्य सरकार के स्तर पर वांछित कार्यवाही करने हेतु माननीय कुलपति एवं कुलसचिव को अधिकृत किया गया।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव

13/6/15
कुलपति